

दण्डात्मक शर्तों के अन्तर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की देयता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बॉईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित पाईप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 10.22375 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली आरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि का भुगतान गंगाजल इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा। दण्डात्मक शर्तों के अन्तर्गत अतिरिक्त शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की देयता का भुगतान गंगाजल इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

January 15.3.18

(आर० के० पंकज)

परियोजना प्रबन्धक

गंगा जल परियोजना इकाई,
उ०प्र० जल निगम, आगरा

प्रति हस्ताक्षरित

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक 15/3/18
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा